76

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2880—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—04—2014 के द्वारा कार्यालय अधीक्षक भू—अभिलेख, जिला—सिवनी के प्रकरण क्रमांक क्यू/राजस्व निरीक्षक/2014

......

श्रीमती अर्चना राय पत्नी श्री कृष्णकांत राय
निवासी—अपन बैंनगंगा कालोनी रोड बबरिया
लालबहादुर शास्त्री वार्ड तहसील व जिला—सिवनी

.... आवेदिका

विरूद्ध

1— अधीक्षक भू—अभिलेख सिवनी तहसील व जिला—सिवनी
2— राजस्व अधीक्षक महोदय बंडोल, तहसील व जिला—सिवनी

.......................अनावेदकगण

....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं श्री एम0एन0 शहगडाले अभिभाषक, आवेदिका
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 4-10-16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी कार्यालय अधीक्षक भू—अभिलेख, जिला—सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक क्यू/राजस्व निरीक्षक/2014 में पारित आदेश दिनांक 22—04—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम आवेदिका के स्वामत्वि एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम सोनाडोंगरी प0ह0न.0 35/36 रा0नि0म0 बंडोल तहसील व जिला सिवनी में स्थित है जिसका ख0नं0 311/1 रकबा 6.65 हे0 भूमि है आवेदिका की स्वामित्व आधिपत्य की उक्त कृषि भूमि पर पड़ोसी कृषको द्वारा अतिक्रमण करने, अवैध रूप से आना—जाना करने एवं मना करने पर विवाद किए जाने के कारण अपनी भूमि का सूक्ष्य सीमांकन किए जाने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, ताकी आवेदिका अपने कृषि भूमि की वास्तविक सीमा ज्ञात कर सके । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र के आधार पर अनावेदक क्र0 1 द्वारा

...वेदक क्र0 2 राजस्व निरीक्षक बंडोल, .राजस्व वृत्त को सीमांकन किये जाने हेतु आदेशित किया गया तथा सीमा राजस्व निरीक्षक, बंडोल द्वारा आवेदिका के स्वामित्व आधिपत्य भूमि का इस आधार पर कि आवेदिका के स्वामित्व की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण द्वारा 0.41 है0 भूमि अधिगृहित किये जाने के कारण राजस्व अभिलेख दुरूस्त न होने के कारण से एवं लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण से सीमांकन नहीं किया गया । इसी आधार पर दिनांक 26.03.14 को अनावेदक क्र0 2 ने अनावेदक क्र0 1 को अपना स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया गया । आवेदिका द्वारा वर्ष 2013 में सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया था, किन्तु अत्याधिक समय हो जाने पर भी सीमांकन न किये जाने का आवेदिका द्वारा स्मरणपत्र संबंधित राजस्व अधिकारी को प्रेषित किया गया । सीमांकन न किये जाने पर हल्का पटवारी की उदासीनता एवं लापरवाही पाये जाने के कारण हल्का पटवारी की वेतनवृद्धी रोके जाने हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया । अनावेदक क्र0 1 के आदेशानुसार अनावेदक क्र0 2 राजस्व निरीक्षक, बंडोल द्वारा दिनांक 22.04.14 को आवेदिका की स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का सीमांकन किया गया । अनावेदक क्र0 2 राजस्व निरीक्षक, बंडोल ने औपचारिकता पूरी करते हुये नियम के विरूद्ध आवेदिका को सूचना दिये बिना त्रुटिपूर्ण सीमांकन करते हुये आवेदिका के स्वामित्व आधिपत्य की ख0नं0 311/1 रकबा 6.65 हे0 भूमि का नियमानुसार सीमांचिन्ह खोजकर सीमांकन न करते हुये आवेदिका की स्वामित्व आधिपत्य भूमि से लगी शासकीय भूमि ख0नं0 312 की भूमि को आवेदिका भूमि दर्शाते हुये त्रुटिपूर्ण सीमांकन कर बिना फील्ड बुक एवं नक्शा तैयार कर सिर्फ सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामा तैयार कर सीमांकन किये जाने का कार्य संपादित कर सीमांकन प्रतिवेदन अनावेदक क्र0 1 अधीक्षक भू–अभिलेख, सिवनी को प्रेषित किया । सीमांकन की जानकारी प्राप्त होते हुये आवेदिका के पति श्री कृष्णकुमार राय ने तत्काल दिनांक 11.06.14 को सूचना के अधिकार के तहत सीमांकन प्रतिवेदन प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र अनावेदक क्र0 1 को प्रस्तुत किया । अनावेदक क्र0 1 अधीक्षक भू–अभिलेख, सिवनी के आदेश व निर्देशानुसार अनावेदक क्र0 2 राजस्व निरीक्षक,बंडोल ने आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का सीमांकन किया जाना दशार्ते हुये जो अवैध सीमांकन किया गया है एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पूर्णयता त्रुटिपूर्ण एवं नियम के विरूद्ध है । इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका द्वारा अनावेदकगणों के समक्ष अपनी स्वामित्व की भूमि की वास्तविक जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु सीमांकन दल गठित कर सूक्ष्य सीमांकन कये जाने हेतु दिनांक 17.07.2013 को जिला अध्यक्ष के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तथा अनावेदकगण द्वारा सीमांकन दल गठित किये जाने हेतु सीमांकन दल द्वारा सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने एवं राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती न किये जाने के आधार पर सीमांकन नहीं किया गया एवं अत्यंत विलंब से आवेदिका की अनुपस्थिति में मनमाने ढंग से अनावेदक क्र0 2 राजस्व निरीक्षक द्वारा नियम के विरूद्ध सीमांकन किया गया है जिसकी कोई भी जानकारी आवेदिका को नहीं दी गई । जबकि सीमांकन के पश्चात सीमांकन प्रतिवेदन फील्ड बुक नक्शे की प्रति सहित आवेदिका भूमि स्वामी को दिया जाने का प्रावधान है । इसके बावजूद भी अनावेदकगण द्वारा त्रुटिपूर्ण सीमांकन किया गया हैं । उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही सीमांकन नियमों के विपरीत है तथा त्रुटिपूर्ण अवैध सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई है एवं अनावेदकगण द्वारा सीमांकन के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही नियम के विरूद्ध एवं अवैध है, जिसका एकमात्र उद्‌देश्य आवेदिका की भूमि की वास्तविक जानकारी न देते हुये भ्रमित करना है । अनावेदकगण द्वारा किये गये उक्त अवैध एवं नियम विरूद्ध तथा पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये सीमांकन कार्यवाही की गई है । उक्त सीमांकन प्रकरण की उचित जांच किये जाने हेतु निगरानी किया जाना न्यायोचित है । राजस्व मण्डल को स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर अपने प्रकरण की जांच कर दिनांक 22.04.14 को किये गये उक्त अवैध सीमांकन प्रतिवेदन कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना विधिसंगत है । अतः दिनांक 22.04.14 को किये गये कथित सीमांकन अवैध एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य । परिणातः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा कार्यालय राजस्व निरीक्षक बंडोल के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । उक्त प्रतिवेदन में ग्राम सोनाडोंगरी पटवारी हल्का नं0 36/35 राजस्व निरीक्षक बंडोल, तहसील व जिला–सिवनी के आवेदिका श्रीमती अर्चना राय पत्नी श्री कृष्णकांत राय के ख0 क्र0 311/1 रकबा 6.65 है0 भूमि का सीमांकन कार्यालय अधीक्षक भू–अभिलेख सिवनी के पत्र क्रमांक

20.4 / भू0अ0 / रा0नि0 / सीमांकन, 2013, सिवनी, दिनांक 16.09.2013 के बावत में दिनांक 22.04.2013 को सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख सिंवनी के निमंत्रण में रा0नि0 बंडोल, हल्का पटवारी 35, पटवारी हल्का नं0 6, पटवारी हल्का नं0 26, पटवारी श्री तिवारी, ग्राम कोटवार, सोनाडोंगरी, धांवरी, भोगाखेड़ा, आवेदिका के पति श्री कृष्णकांत राय एवं समीपी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई । उक्त सीमांकन की कार्यवाही के उपरांत की खूटी पत्थर से निशान लगाये गये। सीमांकन समाप्त होते ही आवेदिका के पति कृष्णकांत राय भाग गये एवं पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं हुये । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण अधीक्षक भू–अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर